

अन्ना प्रथा: बुंदेलखंड की एक विशिष्ट समस्या तथा स्थानीय गौ वंश संरक्षण के प्रयास

¹ सौरभ, ² भालेन्द्र सिंह राजपूत एवं ³ आनन्द सिंह

¹ सहायक प्राध्यापक, सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय,

² सहायक प्राध्यापक, वानिकी महाविद्यालय,

³ प्राध्यापक, उद्यान महाविद्यालय

बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विष्वविद्यालय, बाँदा –210001

Corresponding Mail: buathortanand@gmail.com

बुंदेलखंड में “अन्ना प्रथा” एक सदियों पुरानी और विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक समस्या है, जिसका सीधा प्रभाव क्षेत्र की कृषि, पर्यावरण और विशेष रूप से स्थानीय गौ वंश पर पड़ता है। “अन्ना” शब्द का अर्थ है “आवारा” या “छोड़ा हुआ”। इस प्रथा के तहत, फसल कटाई के बाद किसान अपने गैर-उत्पादक या बूढ़े पशुओं, विशेष रूप से गायों और बैलों को खुले में छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फसल कटने के बाद खेतों में कोई चारा उपलब्ध नहीं होता और किसानों के पास इन पशुओं को खिलाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते।

अन्ना प्रथा के निम्नलिखित प्रमुख पहलू हैं:

- **समय:** यह प्रथा मुख्य रूप से रबी और खरीफ की फसल कटाई के बाद सक्रिय होती है, जब खेतों में फसल अवशेष समाप्त हो जाते हैं।
- **पशु:** छोड़े गए पशुओं में मुख्य रूप से बूढ़ी या गैर-उत्पादक गायें, बैल और बछड़े शामिल होते हैं। कई बार युवा और स्वस्थ पशु भी आर्थिक तंगी के कारण छोड़ दिए जाते हैं।
- **परिणाम:** अन्ना पशु झुंडों में गांवों और कस्बों के आसपास घूमते हैं, जिससे कई नकारात्मक परिणाम होते हैं।
- **फसलों का नुकसान:** ये पशु खड़ी फसलों को चरकर भारी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक हानि होती है और कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।
- **सड़क दुर्घटनाएं:** सड़कों पर आवारा घूमने के कारण ये पशु यातायात में बाधा डालते हैं और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होता है।

- **सामाजिक अशांति:** किसानों और पशु मालिकों के बीच तनाव बढ़ता है, क्योंकि किसानों को अपनी फसलों के नुकसान का सामना करना पड़ता है और पशु मालिकों पर पशुओं की देखभाल न करने का आरोप लगता है।
- **पशु कल्याण:** छोड़े गए पशुओं को पर्याप्त भोजन, पानी और आश्रय नहीं मिलता, जिससे वे भूख, प्यास और बीमारियों से पीड़ित होते हैं।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** अत्यधिक चराई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है और प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचता है।

अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में स्थानीय गौ वंश के संरक्षण के प्रयासों के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके कई कारण हैं। अन्ना प्रथा के कारण, स्थानीय नस्लों के गैर-उत्पादक पशुओं की देखभाल नहीं की जाती और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इससे इन नस्लों की संख्या में कमी आती है और आनुवंशिक विविधता का नुकसान होता है। स्वस्थ और अच्छी गुणवत्ता वाले स्थानीय नस्लों के सांडों और गायों को भी कई बार छोड़ दिया जाता है, जिससे उनके प्रजनन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और नस्ल की गुणवत्ता गिरती है। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा स्थानीय नस्लों के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों को अन्ना प्रथा कमजोर करती है, क्योंकि संरक्षित पशुओं के अलावा बड़ी संख्या में आवारा पशु घूमते रहते हैं, जिससे रोग फैलने और अन्य समस्याएं पैदा होने का खतरा बना रहता है। अन्ना प्रथा के कारण किसानों में स्थानीय नस्लों के प्रति नकारात्मक मानसिकता विकसित हो सकती है, क्योंकि वे उन्हें आर्थिक बोझ के रूप में देखते हैं। इससे वे उच्च उत्पादन वाली विदेशी नस्लों को अपनाने के लिए अधिक प्रेरित हो सकते हैं।

अन्ना प्रथा की समस्या को हल करने के लिए सरकार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है, जो स्थानीय गौ वंश के संरक्षण के प्रयासों से भी जुड़े हुए हैं:—

1. **गौशालाओं की स्थापना और सुदृढीकरण:** सरकार द्वारा बेसहारा और आवारा पशुओं, जिनमें स्थानीय नस्ल के पशु भी शामिल हैं, के लिए गौशालाओं की स्थापना और मौजूदा गौशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इन गौशालाओं में पशुओं के लिए आश्रय, भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल की व्यवस्था की जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कई नई गौशालाएं खोली गई हैं और पुरानी गौशालाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। यह अन्ना प्रथा के कारण बेसहारा हुए पशुओं को आश्रय प्रदान करने में मदद कर रहा है।

2. **पशुधन आश्रय योजना:** उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं के रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है। इसके तहत, पंजीकृत गौशालाओं और अन्य पशु आश्रयों को प्रति पशु दैनिक आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे अन्ना पशुओं की देखभाल करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है।
3. **सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना:** सरकार पंचायतों और स्थानीय समुदायों को अन्ना प्रथा की समस्या के समाधान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत, सामुदायिक स्तर पर पशुओं की देखभाल के लिए समितियां गठित करने और चारे की व्यवस्था करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
4. **कृषि वानिकी और चारा विकास कार्यक्रम:** अन्ना प्रथा का एक मुख्य कारण चारे की कमी है। इसे दूर करने के लिए सरकार कृषि वानिकी को बढ़ावा दे रही है, जिससे किसानों को खेत की मेड़ों और खाली जमीनों पर चारा उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, चारा विकास कार्यक्रमों के तहत उच्च गुणवत्ता वाले चारा बीजों का वितरण और चारागाह विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
5. **पशुधन बीमा योजना:** पशुधन की मृत्यु या बीमारी के कारण किसानों को होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए पशुधन बीमा योजना चलाई जा रही है। इससे किसानों को अपने पशुओं की देखभाल करने और उन्हें छोड़ने से बचने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।
6. **जागरूकता और शिक्षा अभियान:** अन्ना प्रथा के नकारात्मक परिणामों और पशुओं के कल्याण के महत्व के बारे में किसानों और आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न जागरूकता और शिक्षा अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें नुक्कड़ नाटक, किसान मेले और मीडिया का उपयोग किया जा रहा है।
7. **वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप:** अन्ना प्रथा की समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण हैं। इसके तहत, पशुओं के पोषण के लिए कम लागत वाले विकल्पों की खोज, चारा उत्पादन की नई तकनीकों का विकास और पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार किया जा रहा है।

अन्ना प्रथा के समाधान में चुनौतियां:-

अन्ना प्रथा एक जटिल सामाजिक-आर्थिक समस्या है और इसके समाधान में कई चुनौतियां हैं। बुंदेलखंड के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उनके लिए गैर-उत्पादक पशुओं का रखरखाव एक बड़ा वित्तीय बोझ होता है। अन्ना प्रथा सदियों से चली आ रही है और इसे बदलना एक लंबी

प्रक्रिया है जिसके लिए व्यापक सामाजिक जागरूकता और परिवर्तन की आवश्यकता है। वर्तमान में मौजूद गौशालाओं की क्षमता बेसहारा पशुओं की बड़ी संख्या को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूखे और अनियमित वर्षा वाले क्षेत्रों में पूरे वर्ष पर्याप्त मात्रा में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।

अन्ना प्रथा बुंदेलखंड में स्थानीय गौ वंश के संरक्षण के प्रयासों के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न प्रयास सराहनीय हैं, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, सामाजिक जागरूकता बढ़ाना, गौशालाओं की क्षमता में वृद्धि, चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी शामिल हो। स्थानीय गौ वंश के संरक्षण के प्रयासों को अन्ना प्रथा के समाधान के साथ एकीकृत करके ही बुंदेलखंड की कृषि, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को बचाया जा सकता है।

बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (BANDA UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND TECHNOLOGY), बांदा, बुंदेलखंड क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने के नाते, स्थानीय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्थानीय गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय कई प्रयास कर रहा है:—



अनुसंधान एवं विकास:

- **स्थानीय नस्लों का अध्ययन:** विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक बुंदेलखंड की स्थानीय गौ वंश की नस्लों (जैसे केनकथा) की विशेषताओं, उनकी अनुकूलन क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता और उत्पादन क्षमता पर शोध कर रहे हैं। इसका उद्देश्य इन नस्लों की वैज्ञानिक समझ विकसित करना और उनके संरक्षण के लिए बेहतर रणनीतियाँ बनाना है।

- **आनुवंशिक सुधार:** विश्वविद्यालय स्थानीय नस्लों की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुसंधान कर रहा है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाले सांडों का चयन और उपयोग, कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों का विकास और जीनोमिक अध्ययन शामिल हो सकते हैं।
- **पोषाहार संबंधी अध्ययन:** स्थानीय गौ वंश के लिए उपयुक्त और लागत प्रभावी आहार विकसित करने पर शोध किया जा रहा है, जो उनकी उत्पादकता और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सके।
- **रोग निदान एवं नियंत्रण:** विश्वविद्यालय स्थानीय गौ वंश में होने वाली बीमारियों के निदान और नियंत्रण के लिए अनुसंधान कर रहा है, ताकि पशुधन की हानि को कम किया जा सके।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण:

- **पशुधन प्रबंधन पाठ्यक्रम:** विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, पशुधन प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु स्थापित किया गया है, जिसमें स्थानीय गौ वंश के महत्व और उनके संरक्षण के तरीकों के बारे में छात्रों को शिक्षित किया जायेगा है।
- **किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम:** विश्वविद्यालय किसानों और पशुपालकों के लिए स्थानीय गौ वंश के वैज्ञानिक प्रबंधन, नस्ल सुधार, पोषण और रोग नियंत्रण पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों और ज्ञान से अवगत कराना है ताकि वे स्थानीय नस्लों का बेहतर ढंग से पालन कर सकें।
- **उद्यमिता विकास:** विश्वविद्यालय स्थानीय गौ आधारित स्वरोजगार के अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और किसानों को डेयरी उद्योग, जैविक खाद उत्पादन, गोमूत्र आधारित उत्पाद और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करता है। विश्वविद्यालय में ग्रामीण महिला कौशल एवं उद्यमिता विकास केन्द्र गौ आधारित स्वरोजगार पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।



प्रसार एवं विस्तार गतिविधियाँ:

- **किसान मेला एवं प्रदर्शनियाँ:** विश्वविद्यालय नियमित रूप से किसान मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है, जहाँ स्थानीय गौ वंश की नस्लों को प्रदर्शित किया जाता है और किसानों को उनके महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है।



- **सलाहकार सेवाएँ:** विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ किसानों और पशुपालकों को स्थानीय गौ वंश के प्रबंधन और स्वास्थ्य संबंधी सलाह प्रदान करते हैं।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:** विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई स्थानीय गौ वंश के संरक्षण और उत्पादकता बढ़ाने से संबंधित तकनीकों को किसानों तक पहुँचाने के लिए विभिन्न विस्तार गतिविधियाँ चलाई जाती हैं।
- **अन्ना प्रथा के समाधान के प्रयास:** विश्वविद्यालय ने आवारा और गैर-उत्पादक स्वदेशी मवेशियों के संरक्षण के लिए "कामादगिरि नंदी-नंदिनी अभ्यारण्य" नामक एक मॉडल कंजर्वेटरी स्थापित करने की पहल की है। इसका उद्देश्य आवारा पशुओं के लिए मानवीय देखभाल और टिकाऊ समाधान प्रदान करना, फसल क्षति और पर्यावरण क्षरण को कम करना और प्राकृतिक खेती आदानों के उत्पादन के माध्यम से अन्ना पशुओं की लाभप्रदता बढ़ाना है। विश्वविद्यालय कम लागत वाले खुले चराई मवेशी पालन मॉडल का आकलन और अनुकूलन करने पर काम कर रहा है।



बुंदेलखंड की विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिकी परिस्थितियों और समृद्ध सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय गौ वंश का संरक्षण न केवल इस क्षेत्र की बहुमूल्य जैव विविधता को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, बल्कि यह टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण रखने में भी एक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य भूमिका निभा सकता है। यह समय की मांग है कि हम अपनी इस अनमोल विरासत को बचाने के लिए एकजुट हों और तत्काल प्रभावी कदम उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्वितीय गौ वंश के लाभों और महत्व से वंचित न रहें।